From : District Magistrate
Muzaffarnagar

To,

The Registrar
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Ref. No. : 600/OA-433/Harpal Singh/2024 Dated : 24-08-2024

Sub.-Response on behalf of District Magistrate Muzaffarnagar in Compliance to the order issued by Hon'ble National Green Tribunal on 18.07.2024 in O.A. No. 433/2023 Harpal Singh Versus State of Uttar Pradesh.

Sir,

With reference to the subject mentioned above kindly find enclosed herewith the Response on behalf of District Magistrate Muzaffarnagar in compliance of the order issued by Hon'ble National Green Tribunal on 18.07.2024 in O.A. No. 433/2023 Harpal Singh Versus State of Uttar Pradesh.

Encl. : As above.

Yours faithfully

(Aravind Mallappa Bangari)
District Magistrate
Muzaffarnagar

R.O. UPPCB

D/Neeraj Mittal/Letter 2024

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 433 OF 2023

<u>IN THE MATTER OF:</u>

HARPAL SINGH ....Applicant

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH .....Respondents

RESPONSE IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 18.07.2024 IN O.A. NO. 433/2023 HARPAL SINGH VERSUS STATE OF UTTAR PRADESH
===

1.0 BACKGROUND:

- In reference to the grievance made by Mr. Harpal Singh s/o Late Diwan Singh resident of Bamanheri, Tehsil Sadar, Muzaffarnagar, this Hon'ble Tribunal has registered the letter petition as Original Application and issued directions on 01.08.2023, by way constituting a Joint Committee comprising UPPCB, DRM, Northern Railway, EE, PWD and DM, Muzaffarnagar to verify the factual position and for appropriate remedial action.
- In pursuance to the directions passed by this Hon'ble Tribunal, the UPPCB has issued a letter dated 09.08.2023 to District Magistrate for nomination along with request to nomination from Divisional Railway Manager, Railways and EE PWD for carrying out inspection for finding out the factual positions on ground. Copy of the letter is being annexed as **Annexure 1** to this report.
- Further, no information was received from DRM, Railways department. Therefore, the committee comprising of the members of District Administration, PWD and UPPCB inspected the site in question on 21.09.2023 as proposed. The joint committee has submitted its report before this Hon'ble Tribunal on 11.10.2023 along with the following

observations and recommendations :-

a) During inspection, it was observed that the drain passes through the residential area of Sunder Nagar Colony in Muzaffarnagar city area, after which the drain passes from the side of Railway warehouse. Drain passes through the railway warehouse and then passing through the railway line parallely. The drain crosses the highway (Muzaffarnagar Roorkee marg) and then passing just near to the agricultural land in question.

b) UPPCB collected sample of the drain and analyzed it. The analysis report showed that the drain carries only domestic effluent without treatment. Further, the drain is kaccha and has a very low flow in it. At present, this drain is not connected to any STP for treatment of sewage.

Recommendations

1. As an immediate solution, it is suggested that the applicant may raise a wall on the side of the land where the drain sewage flows, or make the land gradient leveled up by sand/ soil up till the drain level to stop the overflow.
2. The drain which is kaccha may be made pakka drain by the concerned department. The area in question comes under jurisdiction of Muzaffarnagar local body. Hence, EO of Local Body Sadar may submit a plan along with timeline to make a pakka drain. Letter dated 09.10.2023 has been issued to EO, Nagar Panchayat Muzaffarnagar by Regional Officer, UPPCB to consider to carry out work to make a pakka drain.

Order Dated 18.07.2024

After considering the joint committee report this Hon'ble Tribunal, on 18.07.2024 has passed the following directions:

"…………………Report shows that the drain carrying sewage is entering agriculture land. From photographs it appears that the drain is a storm water drain but since it is passing through areas occupied by the people, sewage has also entered and no separate arrangement for drainage of sewage and its treatment has been made by the concerned authorities.

4. Stand of Municipal Council, Muzaffarnagar is that drain and its passage is on an area which is outside the municipal limit therefore, it has no concerned in the matter.

5. Area admittedly falls within the jurisdiction of District Magistrate, Muzaffarnagar and Zila Panchayat, Muzaffarnagar but learned counsel appearing for the above parties including respondent 1 could not explain as to why appropriate action has not been taken and how sewage is being allowed to discharge in storm water drain.

6. We also find from record that no action so far has been taken by respondent 2 i.e., UP State Pollution Control Board and no response has been filed as to why it has not taken any action in matter.

7. Let a response be filed by respondents 1,2,3 and 7 to show as to what action has been taken by them in respect of violation of the provision of Section 24 of Water (Prevention and Control) Act, 1974, within one month failing which we make it clear that aforesaid respondents will have to be summoned to appear personally before Tribunal…………………."

Action Taken in compliance to the order dated 18.07.2024

- In compliance to the order passed by this Hon'ble Tribunal, the District Magistrate, Muzaffarnagar vide its letter no. 577/OA No. 433/Harpal Singh/2024 dated 16.08.2024 **(contained as Annexure 2)** has issued a directions to AMA, Jila Panchayat, Muzaffarnagar, as the area outside the Municipal area falls under Jila Panchayat jurisdiction. Hence, AMA Jila Panchayat, Muzaffarnagar, in compliance of the order passed by the District Magistrate, inspection the area and drain in question along with the officers of UPPCB, Regional Office, Muzaffarnagar on dated 20.08.2024. As per the report dated 21.08.2024 **(contained as Annexure 3)** submitted by AMA, Jila Panchayat, Muzaffarnagar, it has been observed that the area of kaccha drain carrying sewage is flowing side to the railway line, Hence, the actions including modification of the drain and construction of facility to treat the sewage is falling under the Railways Department.
- Further, it has been observed that the drain in question is not specifically a storm water drain and carries only untreated sewage discharged from

nearby colonies.

- Hon'ble Tribunal, vide its order dated 01.08.2023 has constituted a joint committee comprising member of Railways. However, even after written communication to the railways department, no member was nominated for joint inspection. Hence, the joint team had to inspect the area without any findings/comments from the Railways Department.
- District Magistrate, Muzaffarnagar vide letter no 593/OA No. 433/Harpal Singh/M.Nagar/2024 dated 23.08.2024 **(Annexure No. 4)** has requested to Divisional Railway Manager, Northern Railway, New Delhi to take immediate action in compliance of the orders issued by the Hon'ble Tribunal including treatment of sewage and modification of the Kachha drain falling under railways.
- Further, at present, there is no facility operational for treatment of the sewage flowing through the drain and ultimately being discharged on agricultural land and indirectly in River Kali West. Hence, as per the latest finding, the Railways Department has committed the violation of Guidelines issued under the Water (Prevention and Control) of Pollution Act, 1974. In pursuance to the above, the UPPCB has issued a show cause notice to Divisional Railway Manager, Northern Railway, New Delhi for action under the provisions of the Water (Prevention and Control) of Pollution Act, 1974 and also for imposition of Environmental Compensation for the violation vide letter No. H16136/C-3/Sa/289/M.Nagar/2024 dated 23.08.2024 **(Annexure No. 5)**.

The above response is put up for perusal and necessary action please.

S.No.	Name of Officials & Details	Signature
1	Vikas Kashyap City Magistrate, Muzaffarnagar	
2	Ankit Singh Regional Officer, UPPCB, Muzaffarnagar	
3	Imraan Ali Environment Engineer, UPPCB, Muzaffarnagar	

Annexure-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 499672 /सी–3/ NGT-377 /2023 दिनांक 9 /08/2023

सेवा में,

मा. एन.जी.टी. / महत्वपूर्ण / समयबद्ध

जिलाधिकारी,
जनपद–मुजफ्फरनगर।

विषय: मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित O.A. No. 433/2023 Harpal Singh Versus State of Uttar Pradesh के संबंध में पारित आदेश दिनांक–01.08.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित O.A. No. 433/2023 Harpal Singh Versus State of Uttar Pradesh के संबंध में पारित आदेश दिनांक–01.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पारित आदेश दिनांक–01.08.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत हैं:–

"..... 4. In view of the above, we consider it appropriate to seek response from (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPPCB), (3) District Magistrate (DM), Muzaffarnagar, (4) Divisional Railway Manager (DRM), Northern Railways and (5) Executive Engineer(EE), PWD, Muzaffarnagar who are impleaded as respondent Nos. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties with the paper book accordingly. Notices be issued to Respondent Nos. 1 to 5 requiring them to file their response to the averments made in the application by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. Further, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of UPPCB, DRM, Northern Railway, EE, PWD and DM, Muzaffarnagar and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law. The Committee may ascertain sources and destination of drainage carrying waste water and extent of damage caused to the owners of the adjoining agricultural land particularly the applicant. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Factual and Action taken Report may be filed within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

7. List for further consideration on 17.10.2023.

8. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the UPPCB, DRM, Northern Railway, EE, PWD and DM, Muzaffarnagar by e-mail for requisite compliance."

इस संबंध में उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के क्षेत्रीय अधिकारी, श्री अंकित सिंह, जिनका मोबाईल नम्बर–7839891687 है, को ऐतदद्वारा नामित किया जाता है। मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोडल एजेन्सी बनाया गया है। प्रकरण में अनुपालन

आख्या मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में 01 माह में प्रस्तुत की जानी है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त हेतु अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को नामित करने का कष्ट करें। प्रकरण में अग्रिम सुनवाई तिथि–17.10.2023 नियत है।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे बिल्डिंग, 11 महात्मा गांधी मार्ग, एल.आई.सी., उत्तर रेलवे, सुशानपुरा, नगर निगम मार्केट, लालबाग, लखनऊ, उ.प्र. को इस अनुरोध के साथ कि उक्त हेतु संबंधित अधिकारी को नामित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त हेतु संबंधित अधिकारी को नामित करने का कष्ट करें।
3. विधि अधिकारी, प्रथम, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, मुजफफरनगर को इस निर्देश कि साथ कि मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, जिलाधिकारी, मुजफफरनगर एवं अधिशासी अभियनता, लोक निर्माण विभाग, मुजफफरनगर अथवा इनके द्वारा नामित अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए अनुपालन आख्या ससमय मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Annexure-2

कार्यालय जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक : 577 / ओ0ए0सं0 433 / हरपालसिंह / 2024 दिनांक : 16.8.2024

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 433 / 2023 हरपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 433 / 2023 हरपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। छायाप्रति संलग्न है। उक्त वाद में Petitioner द्वारा एक कच्चा घरेलू नाला, जो कि रूड़की रोड, रेलवे ब्रिज, ग्राम बामनहेडी के समीप, घरेलू उत्प्रवाह Overflow होने के कारण नाले के समीप स्थित कृषि भूमि (जो कि Petitioner द्वारा क्रय की गयी है) पर उत्प्रवाह इकट्ठा होने सम्बन्धी शिकायत की गयी है, जिस कारण उक्त भूमि पर Petitioner द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जा पा रहा है। उक्त के क्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 01.08.2023 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति, जिसमें जिला प्रशासन, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पी0डब्लू0डी0 के अधिकारी सम्मिलित हैं, के द्वारा दिनांक 21.09.2023 को निरीक्षण किया गया तथा आख्या मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत की गयी। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.07.2024 में निम्नवत् आदेशित किया गया है :–

3. Report shows that the drain carrying sewage is entering agriculture land. From photographs it appears that the drain is a storm water drain but since it is passing through areas occupied by the people, sewage has also entered and no separate arrangement for drainage of sewage and its treatment has been made by the concerned authorities.

4. Stand of Municipal Council, Muzaffarnagar is that drain and its passage is on an area which is outside the municipal limit therefore, it has no concerned in the matter.

5. Area admittedly falls within the jurisdiction of District Magistrate, Muzaffarnagar and Zila Panchayat, Muzaffarnagar but learned counsel appearing for the above parties including respondent 1 could not explain as to why appropriate action has not been taken and how sewage is being allowed to discharge in storm water drain.

उक्त नाला वर्तमान में कच्चा है एवं जिला पंचायत मुजफ्फरनगर के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

उपरोक्त के क्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य पूर्ण कर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें :–

अ– उक्त ड्रेन को पक्का करने हेतु विस्तृत Action Plan, Timeline सहित प्रस्तुत किया जाये।

ब– घरेलू नाला तथा Storm Water Drain को पृथक–पृथक स्थापित किया जाये। किसी भी दशा में घरेलू उत्प्रवाह, Storm Water Drain में निस्तारित न हो। उक्त कार्य हेतु Action Plan, Timeline सहित प्रस्तुत किया जाये।

स– ड्रेन में वर्तमान में घरेलू उत्प्रवाह बिना शुद्धिकृत किये ही निस्तारित हो रहा है। घरेलू उत्प्रवाह का शुद्धिकरण किये जाने हेतु Bio Remediation/Phyto Remediation का प्रस्ताव Timeline सहित प्रस्तुत किया जाये।

क्रमशः ......2...

अवगत हो कि मा0 अधिकरण द्वारा अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए आख्या प्रेषित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है, जिसमें अधोहस्ताक्षरी भी Respondent है। अतः आपसे अपेक्षा है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त कार्य को उच्च प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न करते हुए आख्या 07 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को प्रेषित की जाये। उक्त वाद में सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 28.08.2024 नियत है।

(अरविन्द मल्लप्पा बंगारी)
जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को अनुपालनार्थ :–

1– मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2– उपजिलाधिकारी–सदर, मुजफ्फरनगर।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर।

जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर।

Annexure 3

प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत ,मुजफ्फरनगर ।

सेवा में ,

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर ।

पंत्रांक 779 /सानिवि/24–25 दिनांक 21–8–2024

विषय :– **मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं० 433/2023 हरपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 18–7–2024 के अनुपालन के संबंध में ।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 577/ओ0ए0 न0 433/हरपाल सिंह /2024 दिनांक 16–8–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने करने का कष्ट करें जिसमें 7 दिवस के अन्दर आप महोदय व क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,मुजफ्फरनगर को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है ,के अनुपालन में मेरे द्वारा कल दिनांक 20–8–2024 को जिला पंचायत के अवर अभियंता श्री कौशलवीर सिंह, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,मुजफ्फरनगर के सहायक अभियंता श्री इमरान के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया । स्थलीय निरीक्षण के समय अवर अभियंता द्वारा संलग्न नक्शा नजरिया के अनुसार निम्न तथ्य ए0 से ई0 प्वाइंट के अनुसार प्रकाश में आयें :–

1–ए0 से बी0ग्राम पंचायत रामपुर द्वारा निर्मित नाला है जिसकी लम्बाई लगभग 210 मी0 है ।
2–बी0 से सी0 तक एफ0सी0आई0 का गोदाम है जिसके सामने एफ0सी0आई0 द्वारा नाला बनाया गया है,जिसकी लम्बाई लगभग 125 मी0 है
3–सी0 से डी0 रेलवे विभाग द्वारा रेलवे लाईन के नीचे भूमिगत बनाया हुआ है जिसकी लम्बाई लगभग 135 मी0 है ।
4–डी0 से ई0 रेलवे की भूमि में स्थित कच्चा नाला है जो अन्त में ई0 स्थान पर काली नदी में डलता है, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 1.75 कि0मी0 है ।

चूंकि रेलवे विभाग द्वारा नाला डी0 प्वाइंट पर खत्म कर दिया गया है तथा उक्त प्रश्नगत कच्चा नाला रेलवे की सम्पत्ति में बह रहा है । रेलवे की भूमि से सटे हुए श्री हरपाल सिंह व अन्य किसानों की व्यक्तिगत भूमि है । ऐसी स्थिति में उक्त कच्चे नाले का निर्माण कार्य रेलवे विभाग द्वारा ही कराया जाना न्यायोचित है ।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है ।

संलग्नः– यथोक्त ।

भवदीय,

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर

प्रतिलिपिः– 1–मुख्य विकास अधिकारी महोदय,मुजफ्फरनगर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
2–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,मुजफ्फरनगर को उपरोक्तानुसार प्रेषित ।

21/8/2024

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,मुजफ्फरनगर

लाईन डाइग्राम

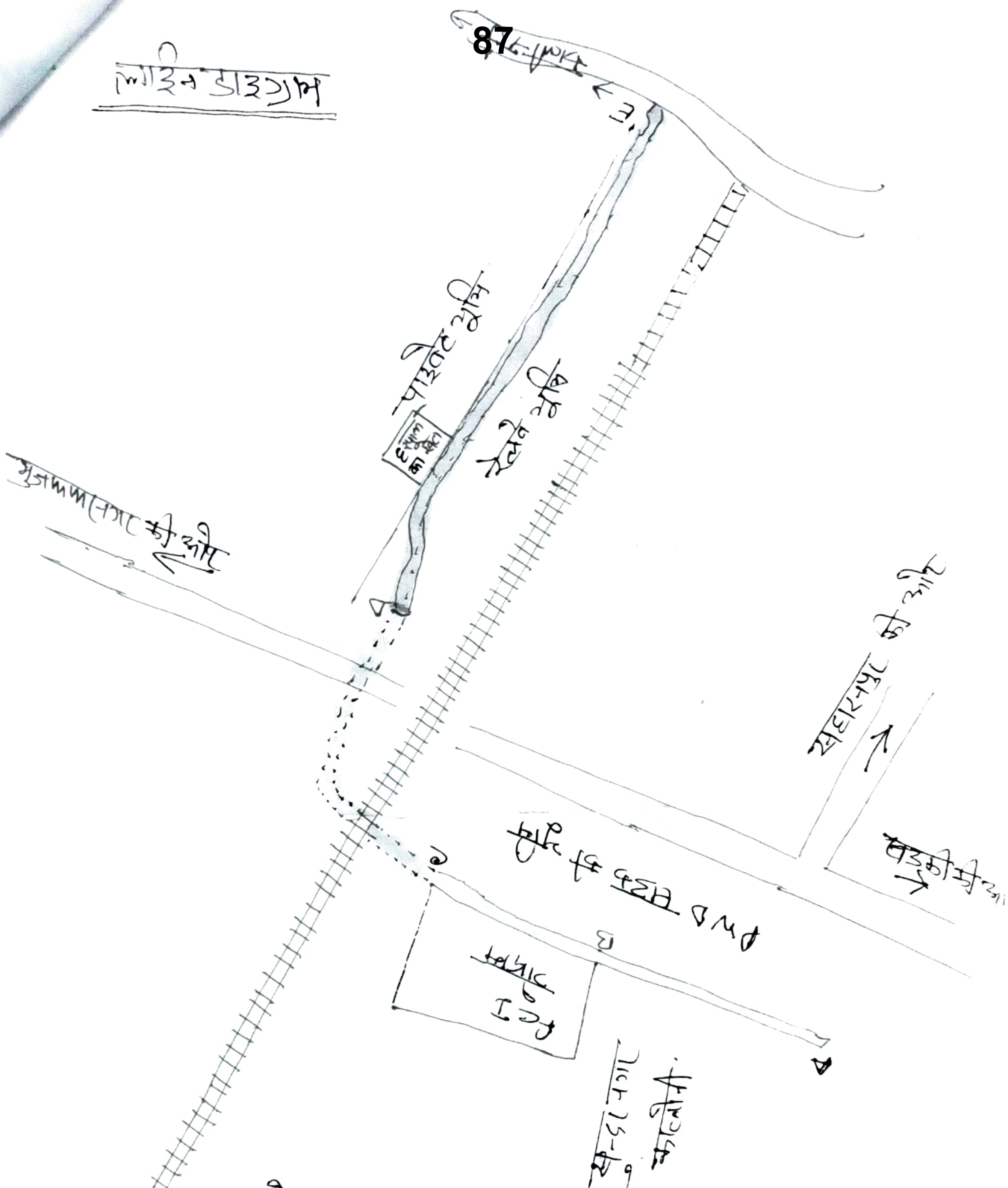

① A से B ग्राम पर्यंत रामपुर द्वारा निर्मित नाला 210 मी०
② B से C FCI द्वारा निर्मित नाला लम्बाई 125 मी०
③ C से D रेलवे द्वारा रेलवे लाईन के नीचे भूमिगत नाला निर्माण किया लम्बाई ल० 135 मी०
④ D से E रेलवे की भूमि में स्थित कच्चा नाला जो अन्त में E स्थान पर नदी में डलता है। रेलवे भूमि के किनारे निजी किसानों की भूमि है। इस नाले की लम्बाई ल० 1.75 Km है।

Kamal

Annexure 4

प्रेषक,

जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर।

पत्रांक: 593/ओ०ए०सं०433/हरपाल सिंह/मु०नगर/2024 दिनांक 23-8-2024

प्रेषित,

डिविजनल रेलवे मैनेजर
नॉर्दर्न रेलवे
एनडीसीआर बिल्डिंग, स्टेट एन्ट्री रोड
नई दिल्ली।
ई–मेल : cpro@nr.railnet.gov.in, mail.cpro.nr@gmail.com

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 433/2023 हरपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 433/2023 हरपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। छायाप्रति संलग्न है। उक्त वाद में Petitioner द्वारा एक कच्चा घरेलू नाला, जो कि रूड़की रोड, रेलवे ब्रिज, ग्राम बामनहेडी के समीप, घरेलू उत्प्रवाह Overflow होने के कारण नाले के समीप स्थित कृषि भूमि (जो कि Petitioner द्वारा क्रय की गयी है) पर उत्प्रवाह इकट्ठा होने सम्बन्धी शिकायत की गयी है, जिस कारण उक्त भूमि पर Petitioner द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जा पा रहा है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पारित आदेशों में गठित संयुक्त समिति, जिसमें जिला प्रशासन, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पी0डब्लू0डी0 एवं रेलवे विभाग की ओर से आप सम्मिलित हैं। गठित संयुक्त समिति में रेलवे विभाग के अधिकारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों के द्वारा दिनांक 21.09.2023 को निरीक्षण किया गया तथा आख्या मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत की गयी। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.07.2024 में निम्नवत् आदेशित किया गया है :–

3. Report shows that the drain carrying sewage is entering agriculture land. From photographs it appears that the drain is a storm water drain but since it is passing through areas occupied by the people, sewage has also entered and no separate arrangement for drainage of sewage and its treatment has been made by the concerned authorities.

4. Stand of Municipal Council, Muzaffarnagar is that drain and its passage is on an area which is outside the municipal limit therefore, it has no concerned in the matter.

5. Area admittedly falls within the jurisdiction of District Magistrate, Muzaffarnagar and Zila Panchayat, Muzaffarnagar but learned counsel appearing for the above parties including respondent 1 could not explain as to why appropriate action has not been taken and how sewage is being allowed to discharge in storm water drain.

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 577/ओ0ए0 नं0 433/हरपाल सिंह/2024 दिनांक 16.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर को निम्नवत् निर्देशित किया गया :–

अ– उक्त ड्रेन को पक्का करने हेतु विस्तृत Action Plan, Timeline सहित प्रस्तुत किया जाये।

ब– घरेलू नाला तथा Storm Water Drain को पृथक–पृथक स्थापित किया जाये। किसी भी दशा में घरेलू उत्प्रवाह, Storm Water Drain में निस्तारित न हो। उक्त कार्य हेतु Action Plan, Timeline सहित प्रस्तुत किया जाये।

क्रमशः ...2....

स– ड्रेन में वर्तमान में घरेलू उत्प्रवाह बिना शुद्धिकृत किये ही निस्तारित हो रहा है। घरेलू उत्प्रवाह का शुद्धिकरण किये जाने हेतु Bio Remediation/Phyto Remediation का प्रस्ताव Timeline सहित प्रस्तुत किया जाये।

उक्त के क्रम में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर के पत्रांक 779/सानिवि/24–25 दिनांक 21.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत् कच्चा नाला रेलवे की सम्पत्ति में बह रहा है, रेलवे की भूमि से सटे हुए श्री हरपाल सिंह व अन्य किसानों की व्यक्तिगत भूमि है, **ऐसी स्थिति में उक्त कच्चे नाले का निर्माण कार्य रेलवे विभाग द्वारा ही कराया जाना न्यायोचित है।**

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत् मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2024 के अनुपालन में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। उक्त वाद में अधोहस्ताक्षरी भी Respondent है। अतः आपसे अपेक्षा है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त कार्य को उच्च प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराते हुए आख्या अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को प्रेषित करने का कष्ट करें। उक्त वाद में सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 28.08.2024 नियत है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अरविन्द मल्लप्पा बंगारी)
जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को अनुपालनार्थ :–

1– मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर।

जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर।

%c dated .S
R.O.

Annexure-5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H16136 /सी–3/ स्ना०/ 289 /मुज्जफ/2024 दिनांक 23/08/2024

सेवा में,

पंजीकृत

डिविजनल रेलवे मैनेजर, नार्दर्न रेल्वेज,
एनडीसीआर बिल्डिंग, स्टेट एन्ट्री रोड,
नई दिल्ली।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 433/2023 हरपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में Petitioner द्वारा एक कच्चा घरेलू नाला, जो कि रूडकी रोड, रेलवे ब्रिज, ग्राम बामनहेडी के समीप, घरेलू उत्प्रवाह Overflow होने के कारण नाले के समीप स्थित कृषि भूमि (जो कि Petitioner द्वारा क्रय की गयी है) पर उत्प्रवाह इकट्ठा होने सम्बन्धी शिकायत की गयी है, जिस कारण उक्त भूमि पर Petitioner द्वारा कृषि कार्य नही किया जा पा रहा है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पारित आदेश में जिला प्रशासन, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पी0डब्लू0डी0 एवं रेलवे विभाग की संयुक्त समिति गठित की गयी। गठित संयुक्त समिति में रेलवे विभाग के अधिकारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों के द्वारा दिनांक 21.09.2023 को निरीक्षण किया गया तथा आख्या मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत की गयी। तत्क्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2024 में निम्नवत् आदेशित किया गया है :–

3. Report shows that the drain carrying sewage is entering agriculture land. From photographs it appears that the drain is a storm water drain but since it is passing through areas occupied by the people, sewage has also entered and no separate arrangement for drainage of sewage and its treatment has been made by the concerned authorities.

4. Stand of Municipal Council, Muzaffarnagar is that drain and its passage is on an area which is outside the municipal limit therefore, it has no concerned in the matter.

5. Area admittedly falls within the jurisdiction of District Magistrate, Muzaffarnagar and Zila Panchayat, Muzaffarnagar but learned counsel appearing for the above parties including respondent 1 could not explain as to why appropriate action has not been taken and how sewage is being allowed to discharge in storm water drain.

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर के पत्र दिनांक 16.08.2024 द्वारा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर को निम्नवत् निर्देशित किया गया :–

अ– उक्त ड्रेन को पक्का करने हेतु विस्तृत Action Plan, Timeline सहित प्रस्तुत किया जाये।

ब– घरेलू नाला तथा Storm Water Drain को पृथक–पृथक स्थापित किया जाये। किसी भी दशा में घरेलू उत्प्रवाह, Storm Water Drain में निस्तारित न हो। उक्त कार्य हेतु Action Plan, Timeline सहित प्रस्तुत किया जाये।

स– ड्रेन में वर्तमान में घरेलू उत्प्रवाह बिना शुद्धिकृत किये ही निस्तारित हो रहा है। घरेलू उत्प्रवाह का शुद्धिकरण किये जाने हेतु Bio Remediation/Phyto Remediation का प्रस्ताव Timeline सहित प्रस्तुत किया जाये।

तदोपरान्त जिला पंचायत मुजफ्फरनगर एवं क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियो द्वारा संदर्भित स्थल का निरीक्षण दिनांक 20.08.2024 को किया गया जिसकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर ने पत्र दिनांक 21.08.2024 द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को प्रेषित की गयी। उक्त आख्या में पाया गया कि प्रश्नगत् कच्चा नाला रेलवे की सम्पत्ति में बह रहा है, रेलवे की भूमि से सटे हुए श्री हरपाल सिंह व अन्य किसानों की व्यक्तिगत भूमि है, **ऐसी स्थिति में उक्त कच्चे नाले का निर्माण कार्य रेलवे विभाग द्वारा ही कराया जाना न्यायोचित है।**

अग्रेतर क्षेत्रीय अधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 22.08.2024 में उल्लिखित है कि प्रश्नगत ड्रेन रेलवे विभाग के भूमि के अन्तर्गत प्रवाहित होने तथा वर्तमान तक उक्त ड्रेन के संबंध में कोई भी कार्यवाही रेलवे विभाग द्वारा नही किये जाने के कारण अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से काली नदी पश्चिमी में निस्तारित किया जा रहा है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि डिविजनल रेलवे मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे नई दिल्ली द्वारा रेलवे विभाग की भूमि में स्थित प्रश्नगत् नाले में प्रवाहित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है एवं ना ही कोई समयबद्ध कार्यवाही हेतु सूचना प्रेषित की गयी है, जिससे स्पष्ट है कि रेलवे विभाग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है।

......2/–

अन्तर मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 433/2023 हरपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 18.07.2024 के अनुपालन एवं घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं होने से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है-

"...... We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder........"

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 22.08.2024 के माध्यम से डिविजनल रेलवे मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे नई दिल्ली के विरूद्ध दिनांक-01.10.2023 से सुधारात्मक कार्यवाही होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त डिविजनल रेलवे मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे नई दिल्ली द्वारा अधिशासी अधिकारी के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में डिविजनल रेलवे मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे नई दिल्ली के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित प्रश्नगत् नाले में प्रवाहित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है एवं ना ही कोई समयबद्ध कार्यवाही हेतु सूचना प्रेषित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा डिविजनल रेलवे मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे नई दिल्ली के विरूद्ध दिनांक 01.10.2023 से सुधारात्मक कार्यवाही होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

Atulesh yadav
(अतुलेश यादव)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त-3

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डिविजनल रेलवे मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे नई दिल्ली को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त-3